BEFORE SHRI RAMAYAN YADAV, JOINT SECRETARY & LEGAL ADVSISER AND FIRST APPELLATE AUTHORITY (ADMN.IV)

(Under Section 19 of RTI Act, 2005)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE, DEPARTYMENT OF LEGAL AFFAIRS, ROOM No. 418, A WING, SHASTRI BHAVAN, NEW DELHI-110001

Appeal No. 1 /JS&LA(RY)/Admn.IV/RTI/2015

IN THE MATTER OF:

Shri Hemant Dhage,
President, Lok Karya & Lok Kranti Dal,
Sheetla Devi Chowk, Tofkhana,
Ahmed Nagar, Maharashtra-414001. Appellant

Versus

Central Public Information Officer(Admn.IV)
Ministry of Law and Justice
Department of Legal Affairs
Shastri Bhavan
New Delhi-110001 Respondent

ORDER

26.05.2015

The instant appeal dated 12.04.2015 has arisen out of RTI application dated 12.03.2015 by which the applicant had sought the following information:-

Name, Telephone Number and the name of office of their earlier posting in respect of Private Secretary, Additional Private Secretary, Officer on Special Duty and Personal Assistants of Hon'ble Minister for Law and Justice.

2. The CPIO, vide letter dated 18.03.2015, has provided the following information to the applicant both in Hindi and English:-

S.NO.	Name S/Shri	Post	Name of Earlier Office	Telephone Number
1.	V. Ponnuraj	Private Secretary	Ministry of Railways	011-23387557 011-23070045
2.	K. Chiranjivi	Addl. PS	Ministry of Railways	011-23387557 011-23070045
3.	K.G. Anjanappa	Addl. PS	Ministry of Railways	080-22866697 080-22866699
4.	B. Pradeep	Asstt. PS	Ministry of Railways	011-23387557 011-23070045

3. In the appeal, the appellant has requested for Hindi version of the reply to be provided by CPIO. Gone through the documents which have been submitted/referred as well as gone through the entire materials placed on record and the information furnished by the CPIO to the appellant very carefully. It seems that the appellant has not received Hindi version of the reply sent by CPIO.

4. The appeal is, therefore, allowed accordingly. CPIO is directed to provide the Hindi Version of the information sought by the appellant within a period of 15 days from the date of the order that too free of cost.

5. In case, the appellant is aggrieved with this ordr, he may file a second appeal before Hon'ble CIC, 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 within the time period as prescribed under the provisions of RTI Act, 2005.

6. The appeal is disposed off accordingly.

(Ramayan Yadav)
Joint Secretary & Legal Adviser &
First Appellate Authority
Date: 26.05.2015
29.5.15

1. Shri Hemant Dhage, President, Lok Karya & Lok Kranti Dal, Sheetla Devi Chowk, Tofkhana, Ahmed Nagar, Maharashtra-414001.

2. US & CPIO (Admn.IV), Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

3. RTI Cell, Department of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

<u>श्री रामायण यादव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा प्रथम अपील प्राधिकारी (प्रशा0 IV) के समक्ष</u>

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय,विधि कार्य विभाग, कमरा सं0 418, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

<u>अपील सं0 1/ जेएस एंड एलए (आर वाई)/प्रशा0 IV /आरटीआई/2015</u>

के मामले में :

श्री हेमंत ढागे,
अध्यक्ष, लोक कार्य एवं लोक क्रांति दल,
शीतला देवी चौक, तोपखाना,
अहमदनगर, महाराष्ट्र - 414001 .... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (प्रशा0 IV)
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001 .... प्रत्यर्थी

<u>आदेश</u>

<u>26.05.2015</u>

प्रस्तुत अपील दिनांक 12.04.2015 की है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन किए गए अपीलार्थी के दिनांक 12.03.2015 के उस आवेदन पत्र से उत्पन्न हुई है, जिसमें निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी :-

'माननीय विधि और न्याय मंत्री के निजी सचिव, अपर निजी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी और वैयक्तिक सहायकों के नाम, टेलीफोन नम्बर और उनकी पिछली तैनाती के कार्यालयों के नाम ।'

2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 18.03.2015 के पत्र के तहत आवेदक को निम्नलिखित सूचना हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई थी :-

क्रम सं0	नाम (सर्वश्री)	पद	पिछले कार्यालय का नाम	टेलीफोन नम्बर
1.	वी0 पोन्नुराज	निजी सचिव	रेल मंत्रालय	011-23387557 011-23070045
2.	के0 चिरंजीवी	अपर निजी सचिव	रेल मंत्रालय	011-23387557 011-23070045
3.	के0जी0अंजनप्पा	अपर निजी सचिव	रेल मंत्रालय	080-22866697 080-22866699
4.	बी0 प्रदीप	सहायक निजी सचिव	रेल मंत्रालय	011-23387557 011-23070045

3. इस अपील में, अपीलार्थी ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर का हिंदी अनुवाद देने का अनुरोध किया है । मैंने प्रस्तुत / संदर्भित किए गए दस्तावेजों और रिकार्ड में रखी गई समस्त सामग्री और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रदान की गई सूचना की बहुत सावधानी से जांच की है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजे गए उत्तर का हिंदी अनुवाद प्राप्त नहीं हुआ है ।

4. अतः तदनुसार, अपील मंजूर की जाती है । केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को मांगी गई सूचना का हिंदी अनुवाद बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराएं ।

5. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित समयावधि के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकता है ।

6. तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है ।

रा० यादव

(रामायण यादव)
संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा
प्रथम अपील प्राधिकारी
दिनांक ~~26.05.2015~~
10.6.15

1. श्री हेमंत ढागे, अध्यक्ष, लोक कार्य एवं लोक क्रांति दल, शीतला देवी चौक, तोपखाना, अहमदनगर, महाराष्ट्र - 414001
2. अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (प्रशा0 IV), विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
3. आर0टी0आई0 सेल, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001